भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1672

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)

1672. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के गैर-तटीय निर्यात केंद्रों, विशेषकर करूर, तिरुप्पुर और डिंडीगुल में, संभार लागत को कम करने और निर्यात मंजूरी में सुधार करने के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) या शुष्क पत्तनों की आवश्यकता का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया है;

(ख) तमिलनाडु में वर्तमान में कार्यरत आईसीडी की संख्या और स्थान, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत या विचाराधीन नए आईसीडी या शुष्क पत्तन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और छोटे निर्यातकों के लिए कंटेनर संचालन, भंडारण, शीतागारों और परीक्षण सुविधाओं तक अंतर्देशीय पहुंच में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय वस्त्र, कृषि उत्पाद और प्राकृतिक रेशे आधारित माल जैसे निर्यातों के लिए बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, आईसीडी या क्षेत्र-विशिष्ट संभार अवसंरचना विकसित करने हेतु राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ समन्वय कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) या कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) का विकास निर्यात आयात कार्गो क्षमता पर आधारित एक मांग संचालित प्रक्रिया है। अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किसी विशेष स्थान पर आईसीडी/सीएफएस स्थापित करने की इच्छुक कोई भी एजेंसी, निजी कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां,

उन्हें संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। ऐसे सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन राजस्व विभाग द्वारा समन्वित एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से, इस संबंध में उस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और तदनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(ख): तमिलनाडु में उन स्थानों की सूची, जहां आईसीडी अधिसूचित किए गए हैं, **अनुबंध-क** में संलग्न हैं। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में आईसीडी की स्थापना के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): एक सामंजस्यपूर्ण, लागत प्रभावी और प्रौद्योगिकी-आधारित, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने के लिए, राज्यों को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 के अनुरूप अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीति तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तमिलनाडु लॉजिस्टिक्स नीति 2023 के तहत, राज्य ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए अंतर्देशीय कंटेनर हैंडलिंग अवसंरचना, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाओं के विकास को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, तमिलनाडु भंडारण नीति 2026 राज्य में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना के विकास के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी प्रदान करती है, जिसमें दूरदराज के जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(घ): निर्यात के लिए एमएमएलपी (मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) अथवा क्षेत्र-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स अवसंरचना की योजना और विकास, मांग आधारित पहल है। संबंधित राज्य सरकारें और निजी कंपनियां अपने मांग मूल्यांकन और योजनाओं के अनुसार इन सुविधाओं का विकास कर रही हैं। भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के चेन्नई और कोयंबटूर में एमएमएलपी सहित देशभर में 35 एमएमएलपी स्थानों को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1672 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तमिलनाडु में उन स्थानों की सूची जहां आईसीडी को अधिसूचित किया गया हैं

क्रम सं.	**आईसीडी संबंधी स्थान**
1	कोयंबटूर
2	मदुरै
3	सेलम
4	सिंगनल्लूर
5	तिरुपुर
6	पुल्लिचप्पल्लम गांव, वनूर तालुक
7	करूर
8	मेलापक्कम, अरक्कोणम
9	कोयंबटूर
10	इनलैंड कंटेनर डिपो, तूतीकोरिन
11	इरुगुर गांव, जिला कोयंबटूर
12	एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल पार्क, इरुंगट्टुकोट्टई, कट्रामबक्कम गांव, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला
13	टोंडियारपेट (टीएनपीएम), चेन्नई
14	होसुर

*****